

Form No. III  
फर्द—अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत

न्यायालय सहायक कलेक्टर चित्तौड़गढ़

मुकाम

चित्तौड़गढ़

फूलचंद

बनाम

माधु

किस्मा मुकदमा

राजस्व वाद

नं०

**099**

सन्

**2014**

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
30.01.2020	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी हाजिर नहीं। आवाज लगवाई गई। हाजिर नहीं। वादी स्वयं हाजिर नहीं। आवाज लगवाई गई। हाजिर। पत्रावली वर्ष 2014 से तलबी में चल रही है। न्यायालय द्वारा वकील वादी को हिदायत दी जारी है जारी है वकील वादी द्वारा प्रतिवादीगण के सम्मन पेश नहीं किये गये है। आज वकील वादी हाजिर नहीं। आज वकील वादी हाजिर नहीं। वकील वादी की रूक-रूक कर आवाज लगवाई गई। वकील वादी हाजिर नहीं। वादी स्वयं हाजिर नहीं। न्यायालय समय समाप्त होने से पूर्व पुनः वकील वादी की आवाज लगवाई गई। वकील वादी हाजिर नहीं। वादी स्वयं हाजिर नहीं। वादी अथवा वकील वादी के हाजिर नहीं आने से वादी का वादपत्र अंतर्गत धारा 53 RTA 1955 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारीज किया जाता है। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार भिजाई जावें। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">- ह० - (तेजस्वी राणा)(I.A.S.) सहायक कलेक्टर, (उपखण्ड अधिकारी), चित्तौड़गढ़ 30.01.2020</p>	

